

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 559/2025

अरविन्द कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-वादी

वनाम

1. पूनम देवी
2. बनिता रानी
3. प्रियंका
4. मोनिका

5. चन्द्रकला (विलोपित)

6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दौलत राम

7. रूकमा देवी पत्नी दौलत राम

8. विजयलक्ष्मी पुत्री दौलत राम

9. चन्द्रकला पुत्री दौलत राम

10. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार

11. राकेश कुमार पुत्र भानी राम

12. राम कुमार पुत्र भानीराम

13. राहुल पुत्र राकेश कुमार

14. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. बैंक शाखा धोलीपाल

15. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

पुत्रीयां सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासीस धोलीपाल  
तहसील व जिला हनुमानगढ़



जाति जाट निवासीयान धोलीपाल तहसील व जिला .हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह सूच एडवोकेट ब मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 4, 6 ता 9,13 श्री अजीत बेनीवाल एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 श्री मनीराम सहू एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है चक 16 एमजेडी खाता संख्या 37/20 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में मृतक दौलतराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी अरविन्द कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतक दौलतराम पुत्र सहीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार अमलदरामद किया जावे

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

वसन्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महसहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया